रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271395
SG-DL-E-30032026-271395

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 512
No. 01]	DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948	[N. C. T. D. No. 512

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 मार्च, 2025

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. 17(17)/Engg. / DERC/2017-18/OA/5842/1660—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 और इस संबंध में अन्य सक्षम प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2005" (जिन्हें इसके बाद "प्रमुख विनियम" कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(3) ये विनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर भी लागू होंगे।

2.0 <u>प्रमुख विनियमों के विनियम 12 (1) में संशोधन:</u>

(1) प्रमुख विनियम के विनियम 12 (1) के बाद निम्नलिखित शर्तों को जोड़ा जाएगा: -

प्रावधान किया गया है कि सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त अधिभार उस वर्ष के मूल्य से रैखिक रूप से कम किया जाएगा जिस वर्ष सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस प्रदान किया गया था, ताकि यदि वह व्यक्ति इसका लाभ उठाना जारी रखता है, तो सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस प्रदान किए जाने की तिथि से चार वर्षों के भीतर अतिरिक्त अधिभार समाप्त हो जाए।

इसके अलावा, जनरल नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति मौजूदा ओपन एक्सेस विनियमों के अंतर्गत पहले से लगाए गए या वसूले गए अतिरिक्त अधिभार की किसी भी प्रकार की वापसी, समायोजन या वसूली की मांग करने या दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

यह भी प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारियों के साथ अनुबंध की मांग बनाए रखने की सीमा तक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा:

इसके अलावा, प्रावधान है कि यह अतिरिक्त अधिभार केवल उन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता हैं या रह चुके हैं।

स्पष्टीकरण – *इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, सामान्य नेटवर्क एक्सेस और अस्थायी – जीएनए का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 में समय-समय पर संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है।*

कुशल कुमार एल भोसिकर, संयुक्त निदेशक (पीएस एवं ई)

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the19th March, 2025

Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2026

F. No. 17(17)/Engg./DERC/2017-18/OA/5842/1660 - In exercise of powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 and other enabling provisions in this regard, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in "Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005" (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), as follows:

1.0 <u>Short Title and Commencement</u>

(1) These Regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) These Regulations shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

(3) These Regulations shall extend to the National Capital Territory of Delhi.

2.0 <u>Amendment of Regulation 12 (1) of the Principal Regulations:</u>

(1) Following Proviso shall be added after Regulation 12 (1) of the Principal Regulation:-

Provided that for a person availing General Network Access or Open Access, the additional surcharge shall be linearly reduced from the value in the year in which General Network Access or Open Access was granted so that, if it is continued to be availed by this person, the additional surcharge shall get eliminated within four years from the date of grant of General Network Access or Open Access:

Provided further that persons availing General Network Access or Open Access shall not be eligible to seek or claim any refund, adjustment, or recovery of the additional surcharge already levied or collected under the existing Open Access Regulations:

Provided also that the additional surcharge shall not be applicable for Open Access Consumer to the extent of contract demand being maintained with the distribution licensees:

Provided also that the additional surcharge shall be applicable only for the Open Access Consumers who are or have been consumers of the concerned Distribution licensee.

Explanation. – *For the purpose of these Regulations*, *General Network Access and Temporary-GNA shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 as amended from time to time.*

KUSHAL KUMAR L. BHOSIKAR, Jt. Director (PS&E)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.30 11:42:54 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272007
SG-DL-E-23042026-272007

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 03]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 12

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

फा. सं. 17(17)/Engg./DERC/2017-18/OA/5842/70.—जैसा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 को दिल्ली राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.03.2026, रा.रा.रा.क्षे.दि.स. 512 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 01 पर, 'दिल्ली, 19 मार्च 2025' शब्दों को **'दिल्ली, 19 मार्च 2026'** पढ़ा जाए।

कुशल कुमार एल भोसिकर, संयुक्त निदेशक (पीएस एवं ई)

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

Delhi, the 22nd April, 2026

F. No. 17(17)/Engg./DERC/2017-18/OA/5842/70.— Whereas Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2026 have been notified vide Delhi Gazette Notification dated 19.03.2026, NCTD No. 512.

2. On Page 01, of the Gazette notification the words 'Delhi, the 19th March 2025'beread as **'Delhi, the 19th March 2026'**.

KUSHAL KUMAR L.BHOSIKAR, Jt. Director(PS&E)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.23 23:11:54 +05'30'